प्ररूप 10

[नियम 13(2) देखिए]

***मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति**

..... **के लिए निर्वाचन

मैं, ... जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में †अभ्यर्थी हूं/ ..... का, जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद्द्वारा .....1[..... (नाम और पता)को].....मैं..... (संख्याक वाले †मतदान केन्द्र में/मतदान के लिए नियत स्थान ..... में हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।

स्थान .....

तारीख .....

†अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान .....

तारीख .....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपरिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128†† द्वारा, * जो मैंने पढ़ ली है/जो मुझे पढ़ कर सुना दी गई है, निषिद्ध कोई बात न करूंगा।

तारीख .....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख .....

पीठासीन आफिसर

---

*मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश किए जाने के लिए मतदान अभिकर्ता को दे दिया जाए।

** यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए :-

(1) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।

(2) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।

(3) ..... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) ..... (संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।

(6) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

†जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए।

††लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128—

" **128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना** – (1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

---

1 अधिसूचना सं. का.आ.565 (अ), तारीख 4 अगस्त 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।